

संख्या:1880/एक-10-2023-33(10)/2023

प्रेषक,

राम केवल,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,  
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग- 10

लखनऊ दिनांक: 22/12/2023

**विषय: उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के भवन निर्माण हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-855/रा०आ०प्र०प्रा०/ 2023-24, दिनांक-15.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्राधिकरण के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत लागत रु० 6640.03 लाख के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में आवंटित रु० 1660.00 लाख की धनराशि के 75 प्रतिशत धनराशि के उपभोग के संबंध में कार्यदायी संस्था के रूप में लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये उपभोग प्रमाण-पत्र को उपलब्ध कराते हुए भवन निर्माण हेतु द्वितीय किशत के रूप में 3000.00 लाख की धनराशि प्राधिकरण को आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के भवन निर्माण का कार्य कराये जाने हेतु नामित कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का व्यय वित्त समिति द्वारा लागत रु० 6640.03 लाख अनुमोदित की गयी है। उक्त लागत रु० 6640.03 लाख के अंतर्गत प्रस्तावित विशिष्टियों-अनावासी भवन में केन्द्रीय वातानुकूलन (एच०वी०ए०सी० सिस्टम) पर धनराशि रु० 325.21 लाख एवं स्ट्रक्चल ग्लेजिंग पर लगभग रु० 69.50 लाख (जो सिविल वर्क में सम्मिलित है) के अंतर्गत कराये जाने की अनुमति प्रदान करते हुए प्रथम किशत के रूप में कुल अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष 25 प्रतिशत अर्थात् 1660.00 लाख की धनराशि कतिपय शर्तों एवं विवरणों के अधीन शासनादेश संख्या-A001-UO-20-One-आ०-10-2022-23-G-2013, दिनांक-05.09.2022 द्वारा अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निवर्तन पर रखी गयी। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्र दिनांक 14.12.2023 से उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण-पत्र के अनुसार स्वीकृत धनराशि का 75 प्रतिशत उपभोग किये जाने की सूचना दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रश्नगत योजना हेतु रु० 3000.00 लाख का प्राविधान है। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19.09.2023 के प्राविधानानुसार द्वितीय किशत के रूप में निर्माण लागत की 35 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्राविधान है।

3- उपरोक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 30प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के भवन निर्माण का कार्य कराये जाने हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित रु0 6640.03 लाख की धनराशि में से द्वितीय किस्त के रूप में 35 प्रतिशत अर्थात् रु0 2324.02 लाख की धनराशि 30प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के भवन निर्माण का कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राविधानित धनराशि रु0 3000.00 लाख में से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्त / प्रतिबन्धों

- (1) प्रायोजना की लागत रु० पचास करोड़ से अधिक है अतः वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-19/2019/वी-2/615/दस-2019 दिनांक 13-12-2019 प्रायोजना का क्रियान्वयन ई0पी0सी0 मोड/बिडिंग द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रश्रुत प्रायोजना के सम्बन्ध में ई0पी0 सी0 की समस्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) प्रायोजना का गठन लोक निर्माण विभाग एवं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत अनावासीय भवनों की उच्च श्रेणी की विशिष्टियों को सम्मिलित करते हुए किया गया है।
- (3) आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-41/2016/363/आठ-1-15-17 विविध/03 टी0सी0 दिनांक 01.02.2016 एवं तत्सम्बन्धी आदेशों के क्रम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु पर्याप्त व्यवस्था एवं उसका अनुरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इन कार्यों हेतु प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर दरें प्राप्त कर निर्माण कार्य सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।
- (5) प्रायोजना के संबंध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी।
- (6) प्रायोजना का निर्माण किए जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रायोजना की वास्तविक ड्राइंग एवं डिजाइन के आधार पर प्रायोजना का विस्तृत आगणन का गठन कर लिया गया है तथा उस पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई है इसके पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है।
- (7) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
- (8) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते

- हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। आर०ओ०वी० की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रेस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (9) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (10) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (11) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (12) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- (13) वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दि०- 17 मार्च, 2023 एवं 19.09.2023 में विहित व्यवस्थानुसार कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जायेगी।
- (14) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि एवं स्वीकृत लागत में ही अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा। भविष्य में प्रायोजना का पुनः कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।
- (15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (16) कार्य की विशिष्टियाँ मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिये सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (17) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर 212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (18) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी। जी० एस०टी० आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का होगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय ₹0 2,324.02 (₹0 तेइस करोड चौबीस लाख दो हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-051 लेखाशीर्षक 4250-00-101-07-00 उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंध प्राधिकरण मानक मद-24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally Signed by राम

केवल

Date: 22-12-2023, 13:49:28

Reason: Approved

विशेष सचिव।

संख्या:1880/एक-10-2023-33(10)/2023, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, वित्त विभाग, नियोजन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
4. सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 (बजट आवंटन), उ०प्र० शासन।
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र० 1
8. सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०
9. वित्त नियंत्रक, उ०प्र० प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।
10. प्रमुख अभियन्ता, विकास एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11. निजी सहायक, मा० उपाध्यक्ष उ० प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण लखनऊ।
12. मुख्य अभियन्ता, भवन लोक निर्माण विभाग, लखनऊ/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
- 13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-51
- 14- गार्ड फाइल।
15. राजस्व अनुभाग-11।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

**Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2023-2024  
आवंटन दिनांक-28/12/2023

प्रेषण संख्या:- 1880

आवंटन आदेश संख्या:- 001-1880

अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - प्राकृतिक आपदाएं

07 - उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंध प्राधिकरण

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम                                                        |                 | 24-वृहत् निर्माण कार्य | योग                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 1     | जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a | वर्तमान प्रगामी | 232402000<br>232402000 | 232402000<br>232402000 |
|       | योग                                                                        | वर्तमान प्रगामी | 232402000<br>232402000 | 232402000<br>232402000 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तेइस करोड़ चौबीस लाख दो हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तेइस करोड़ चौबीस लाख दो हजार

(जान्हवी मोहन)  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
राहत आयुक्त संगठन  
उ०प्र० शासन